**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1233**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**बाल उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश**

**1233. श्रीमती गुन्डु सुधारानी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या वर्षों से देश में बाल उत्पीड़न में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) : क्या देश में किसी राज्य द्वारा बाल उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं;

(ग) : यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) तथा के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) : मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु कौन-से प्रयास कर रहा है कि सभी राज्य उपरोक्त दिशानिर्देश को अधिसूचित कर सख्ती से कार्यान्वित करें?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार, बच्‍चों के विरूद्ध अपराधों, जिनमें हिंसा, यौन हिंसा एवं दुर्व्‍यवहार शामिल हैं, के मामलों की संख्‍या में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है ।**

**(ख) से (घ) : सरकार ने हाल ही में ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉस्‍को) अधिनियम, 2012'' अधिनियमित किया है, जो 14 नवम्‍बर, 2012 को लागू हो गया है । अधिनियम की धारा 39 में राज्‍य सरकारों से बच्‍चों की सहायता के लिए विचारण-पूर्व एवं विचारण के दौरान जुड़े हुए गैर-सरकारी संगठनों, व्‍यावसायिकों एवं विशेषज्ञों के उपयोग हेतु दिशानिर्देश तैयार करना अपेक्षित है । अनेक राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए और सितम्‍बर, 2013 में सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया जिनका उक्‍त अधिनियम के बेहतर क्रियान्‍वयन हेतु वे अंगीकरण या अनुकूलन कर सकते हैं । इसके अलावा, राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों (तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश एवं चंडीगढ़) ने विभिन्‍न पक्षकारों हेतु दिशानिर्देशों के निरुपण की पुष्‍टि की है । इसके अलावा, राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्‍कूलों में शारीरिक दण्‍ड को समाप्‍त करने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इन्‍हें आवश्‍यक कार्रवाई हेतु सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को भेजा गया है ।**

\*\*\*\*\*